प्रकरण संख्या 4/2018 रूपा बनाम श्रीमती चम्पा

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.02.2023	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 181 सर्वे नंबर 1171/75 रकबा 15 बीघा भूमि वाके ग्राम सालिया, तहसील गागडतलाई में स्थित है, जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी के मूल खातेदार वादीगण के पति व पिता हुका पिता कानजी भील थे। हुका जी को जरिये नामान्तरकरण संख्या 312 दिनांक 12.02.1985 से खातेदारी हक प्राप्त हुए। उक्त साबिक नंबर 1171/75 के हाल नंबर 278 रकबा 0.09 हैक्टर, 279 रकबा 0.33 हैक्टर, 280 रकबा 0.31 हैक्टर एवं 283 रकबा 0.25 हैक्टर कायम किये गये, किन्तु वादीगण की भूमि के मूल सर्वे नंबर के स्थान पर हाल सर्वे नंबर नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं किये गये, जबकि वादीगण मूल सर्वे नंबर पर काबिज है। वादीगण का सर्वे नंबर 252 रकबा 0.57 हैक्टर, 284 रकबा 0.17 हैक्टर एवं 285 रकबा 0.26 हैक्टर कुल रकबा 1 हैक्टर पर कब्जा है, किन्तु वक्त सेटलमेन्ट उक्त सर्वे नंबर वादीगण के नाम दर्ज नहीं किये गये हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 को मूल सर्वे नंबर 920/75 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 921/75 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा एवं 1078/75 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा का आवंटन किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को सर्वे नंबर 919/75 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा का आवंटन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने पुराने सर्वे नंबर अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं, किन्तु दौराने सेटलमेन्ट उक्त सर्वे नंबर 75 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को आवंटित भूमि के नक्शा ट्रेस में साबिक सर्वे नंबर के स्थान पर नये नंबर गलत ढंग से तरमीम कर दिये गये, जिनका शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है। अतः वादीगण हाल आराजी नंबर 252 रकबा 0.57 हैक्टर, 284 रकबा 0.17 हैक्टर एवं 285 रकबा 0.26 हैक्टर कुल रकबा 1 हैक्टर को खातेदार घोषित किया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:07:30 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान नक्शा ट्रेस में शुद्धिकरण करने हेतु तहसीलदार गागडतलाई को आदेशित किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.11.2016 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 02.02.2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 की ओर से वकील श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट विवादित भूमि पर काश्त कर रहा था तभी रेस्पोन्डेन्ट अन्य व्यक्ति के साथ मौके पर आये तथा विवाद करने लगे और कहा की कोर्ट से हमारे हक में फैसला हो चुका है। तब अपीलान्ट ने निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 29.01.2018 को पेश किया जिसकी नकल उसे दिनांक 01.02.2018 को प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टि न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण प्रतिवादी/अपीलान्ट की तामिल हेतु नियत था, परन्तु बिना तामिल हुए एवं बिना जवाबदावा लिये तथा बिना आपसी राजीनामे के प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित कर दी है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार क[illegible] अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:07:30 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के

प्रकरण संख्या 4/2018 रूपा बनाम श्रीमती चम्पा

निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.09.2016 अनुसार प्रकरण अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 की तलबी एवं जवाब हेतु दिनांक 06.10.2016 के लिए नियत था, किन्तु उक्त दिनांक को पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने से पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.10.2016 दी गयी एवं उक्त दिनांक को प्रकरण राजस्व कैम्प में रखे जाने के लिए दिनांक 12.11.2016 की पेशी दी गयी जाकर वादीगण का वाद डिक्री किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है, क्योंकि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात हाल अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है एवं उसका पक्ष सुने बिना उसके खाते की भूमि की अदला–बदली का आदेश पारित कर दिया गया है, जो प्रथम दृष्टया विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.04.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भ–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:07:30 IST
Reason: SelfAttested